

# संचालनालय आयुष, म0प्र0

(भू-तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in  
E-mail: jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931  
Fax (0755) 2760225

दिनांक : 15/02/2023

—विज्ञप्ति—

—स्नातक मॉप—अप (द्वितीय) चरण काउंसिलिंग कार्यक्रम (स्टेट कोटा)—  
—बी ए एम एस/बी एच एम एस/बी यू एम एस/बी एन वाय एस—

म0प्र0 आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2022 तथा म0प्र0 प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2022 के अनुक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एम0पी0 ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराई जायेगी।

प्रवेश काउंसिलिंग के अंतर्गत मॉप—अप (द्वितीय) चरण का काउंसिलिंग कार्यक्रम निम्नानुसार है:—

क्रमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
1	रिक्त सीटों की स्थिति	दिनांक 16/02/2023
2	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्वाईस फीलिंग, लॉकिंग तथा ऐडिट)	दिनांक 17/02/2023 से 19/02/2023 रात्रि 11:59 बजे तक
3	सीट आवंटन	दिनांक 22/02/2023
4	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 23/02/2023 से 25/02/2023 सायं 05 बजे तक
5	प्रवेश निरस्तीकरण	दिनांक 23/02/2023 से 25/02/2023 रात्रि 11:59 बजे तक

नोट:—

- 1— प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार आनलाइन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2— उपरोक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।
- 3— मॉप—अप (द्वितीय) चरण में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रवेश नहीं लेने पर अभ्यर्थी आगामी चरण हेतु पात्र नहीं होगा तथा अभ्यर्थी के द्वारा च्वाईस फीलिंग के समय जमा किया गया आंशिक शुल्क राजसात कर लिया जायेगा।
- 4— काउंसिलिंग के प्रथम/द्वितीय/मॉप—अप चरण में प्रवेशित/प्रवेश उपरान्त निरस्त कराने वाले अथवा मॉप—अप चरण में आवंटित अभ्यर्थी मॉप—अप (द्वितीय) चरण हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 5— नियम/निर्देशों हेतु विभागीय वेबसाइट [www.ayush.mp.gov.in](http://www.ayush.mp.gov.in) एवं एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) का सतत् अवलोकन करते रहें।

प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित

  
औषधालय अधीक्षक  
संचालनालय आयुष म0प्र0